न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

परिवाद संख्या : 1/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना लूणी।		पार्टी नम्बर 01 व पार्टी नम्बर 02 01.माणकसिह पुत्र स्व0 बिडदसिहजी 02.बशीसिह पुत्र स्व0 बिडदसिहजी 03.अर्जूनसिह पुत्र स्व0 बिडदसिहजी 04.सावतसिह पुत्र स्व0 बिडदसिहजी 05.बालुसिह पुत्र स्व0 बिडदसिहजी 06 भगवानसिह पुत्र स्व0 जवारसिहजी 07.बलवंतसिह के कायम मुकाम 7/1 मोहरा कवर पत्नि स्व0 बलवंतसिह 7/2 जगदीश सिह पुत्र स्व0 बलवंतसिह 7/3 नरपतसिह पुत्र स्व0 बलवंतसिह 7/4 मदनसिह पुत्र स्व0 बलवंतसिह 7/5 गोविन्दसिह पुत्र स्व0 बलवंतसिह 7/6 विक्रमसिह पुत्र स्व0 बलवतसिह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम हनुमान नगर फीच तहसील लूणी जिला जोधपुर। 7/7 हविया कंवर पुत्री स्व बलवन्तसिह पत्नि श्री फतेहसिह निवासी झीतडा तहसील समद पाली। 7/8 संतोष कंवर पुत्री स्व बलवंन्तसिह पत्नि श्री रामसिह जाति राजपुरोहित निवासी भाण्डु कला तहसील लूणी जिला जोधपुर। 7/8 सुशीला कंवर पुत्री स्व बलवंन्तसिह पत्नि श्री रामसिह जाति राजपुरोहित निवासी बोराना तहसील बाप जिला जोधपुर हाल निवासी मथानिया तहसील तिवरी जिला जोधपुर। पार्टी सख्या 02 01.कालुसिह पुत्र जवाहरसिह जाति राजपुरोहित निवासी फींच हाल निवासी लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 145,146 सीआरपीसी 14/10/2021

पत्रावली आज पेश हुई। कार्यालय थानाअधिकारी लूणी से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये कमांक 1833 दिनाक 04.08.2021 को पेश हुई जो शामिल पत्रावली कि। उक्त प्रकरण मे ग्राम हनुमान नगर तहसील लूणी के खसरा नम्बर 489 व 490 की भूमि कुर्क की जाकर थानाअधिकारी लूणी का रिसीवर नियुक्त किया गया था। पक्षकारो द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि उक्त खसरान की कृषि भूमियो क सबध मे सबधित खातेदारो के मध्य आपसी सहमती से राजीनामा हो चुका है जिस पर न्यायालय हाजा मे विचाराधीन राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवान कालूसिह बनाम बलवमतसिह वगैरा मे आपसी सहमती से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 09.04.2021 अनुसार राजस्व वाद के जरिये आदेश एव डिकी दिनांक 09.04.2021 को जारी की जा चुकी है एवं अब किसी प्रकार का कोई विवाद नही है इस कारण से उक्त कुर्कसुदा कृषि भूमिया कुर्कमुक्त की जाकर रिसीवर हटाया जावे। एव पुनःसबधित खातेदारो को सुपुर्द की जावे जिस पर थानाधिकारी लूणी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी थी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

(पार्टी सख्या 01 के अप्रार्थी सख्या 2 बशीसिह पुत्र श्री बिडदसिह जो कि राजीनामा मे बताया गया कि बशीसिह लगभग सांठ वर्ष से लापता है ओर राजस्थान पत्रिका मे दिनाक 16.11.2012 को प्रकाशन करवाया गया)

थानाअधिकारी लूणी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट कमांक 1833 दिनांक 04.08.2021 के अनुसार विस्तृत जॉच की गयी एवं सबधित खातेदारो एव पडौसी खातेदारो इत्यादी की बयान भी लिये गये एवं उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार अब पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार कोई विवाद होना नही पाया गया। ऐसी स्थिति मे उक्त कुर्कसुदा कृषि भूमियो को अब कुर्क रखी जानी न्यायोचित प्रतीत नही होंता है।

अतः— आदेश दिये जाते है कि ग्राम हनुमान नगर फिच के खसरा नम्बर 489 व 490 की कृषि भूमियो पर नियुक्त रिसीवर थानाअधिकारी लूणी को रिसीवर से हटाया जाता है तथा सबधित खातेदारो को पुनःउक्त कृषि भूमियो सुपूर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाअधिकारी लूणी को आवश्यक कार्यवाही हेतु तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गोपाल परिहार आर ए एस)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

एव उपखण्ड अधिकारी लूणी